

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-9
संख्या-1138/दो-9-2018-53(24)/2012
लखनऊ: दिनांक: 31 मई, 2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011 के प्रथम संशोधन नियमावली 2014 दिनांक-04-03-2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री शरीफ अहमद खान, पी0सी0एस0, (से0नि0) को उनके स्वयं की एवं उनकी पत्नी श्रीमती शबनम खान की दिनांक 01.11.2016 से 24.11.2017 तक डा0 सी0पी0 बाजपेयी लखनऊ से कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष कमशः धनराशि रू0-20,116/- एवं रू0-12,788/- अर्थात् कुल रू0-32,904/- (रूपये बत्तीस हजार नौ सौ चार मात्र) की प्रतिपूर्ति किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-62 के अर्न्तगत लेखा शीर्षक "2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ-01-सिविल-800-अन्य व्यय-04-राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधीन सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-0402- दिनांक 08 नवम्बर, 2000 के पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा उनके आश्रितों की विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा।


3- श्री शरीफ अहमद खान, पी0सी0एस0, (से0नि0) का भारतीय स्टेट बैंक, अशोक मार्ग, हजरतगंज शाखा, लखनऊ में खाता संख्या-MSB10102069611 तथा आई0एफ0एस0 कोड-एस0बी0आई0एन0-0003347 है। इनका पी0पी0ओ0 संख्या-पी-001/136/068102 है। श्री खान, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ से पेंशन आहरित करते हैं।

अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव

संख्या-1138(1)/दो-9-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
3. नियुक्ति लेखा अनुभाग को दो प्रतियों में मूल बिल/वाउचर्स सहित।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5. अनुभागीय आदेश पुस्तिका।
6. श्री शरीफ अहमद खान, पी0सी0एस0, (से0नि0), 107, इन्साफ नगर, इन्दिरानगर, लखनऊ-226016
7. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(विश्वनाथ दुबे)
अनु सचिव ✓

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-9
संख्या-1202/दो-9-2018-8(120)/2010
लखनऊ: दिनांक: 31 मई, 2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011 के प्रथम संशोधन नियमावली 2014 दिनांक-04-03-2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री शकील अहमद, (से0नि0), समीक्षा अधिकारी नियुक्ति विभाग को उनके स्वयं की दिनांक 05.12.2017 से 14.03.2018 तक डा0 सुदीप कुमार, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ से कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष धनराशि रू0-4,036/- (रूपये चार हजार छत्तीस मात्र) की प्रतिपूर्ति किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 62 के अर्न्तगत लेखा शीर्षक "2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ-01-सिविल-800-अन्य व्यय-04-राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधीन सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-0402- दिनांक 08 नवम्बर, 2000 के पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा उनके आश्रितों की विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- श्री शकील अहमद, (से0नि0), समीक्षा अधिकारी का भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, लखनऊ में खाता संख्या-10223020928 तथा आई0एफ0एस0 कोड-एस0बी0 आई0एन0-0006893 है। इनका पी0पी0ओ0 संख्या-पी0-026/526 /003838 है। श्री अहमद मुख्य कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ से पेंशन आहरित करते हैं।

अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव

संख्या-1202(1)/दो-9-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- नियुक्ति (लेखा) को अतिरिक्त प्रति एवं मूल चिकित्सा बाउचर्स सहित
- 3- कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- 5- श्री शकील अहमद, (से0नि0), समीक्षा अधिकारी, 152/101, रस्सी बटान, मौलवीगंज, लखनऊ-226018
- 6- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।
- 7- कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग को विभाग की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।

संलग्नक : यथोक्त ।

आज्ञा से,
(विश्वनाथ दुबे)
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-9
संख्या-1218/दो-9-2018-8(97)/2008
लखनऊ, दिनांक 31 मई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2011, एवं (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री गोविन्द प्रसाद गुप्ता, समीक्षा अधिकारी, नियुक्ति अनुभाग-8 को उनकी पत्नी श्रीमती संध्या गुप्ता की एवं उनके पुत्र अमरेन्द्र की दिनांक 11.02.2018 से 26.03.2018 तक, दिनांक 05.02.2018 से 15.02.2018 तक एवं दिनांक 05.12.2017 से 22.01.2018 तक डा0 कल्याण मलिक, डा0 अभिषेक बंशल एवं डा0 संध्या बंशल, बंशल क्लीनिक लखनऊ से कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष क्रमशः धनराशि रू0-1,678/-, रू0-845/- एवं रू0-3,734/- अर्थात् कुल रू0-6,257/- (रूपये छः हजार दो सौ सत्तावन मात्र) की प्रतिपूर्ति किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।


2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के उसी लेखा शीर्षक की मानक मद "49-चिकित्सा व्यय" के नामें डाला जायेगा, जिससे श्री गोविन्द प्रसाद गुप्ता, समीक्षा अधिकारी, नियुक्ति अनुभाग-8 का वेतन आहरित किया जाता है।

अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या-1218(1)/दो-9-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
 - 2- नियुक्ति लेखा को अतिरिक्त प्रति एवं मूल बिल/बाउचर्स सहित।
 - 3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
 - 4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
 - 5- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।
 - 6- श्री गोविन्द प्रसाद गुप्ता, समीक्षा अधिकारी, नियुक्ति अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
 - 7- कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग को विभाग की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
- संलग्नक :- यथोक्त।

आज्ञा से,

(विश्वनाथ दुबे)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-9
संख्या-1199/दो-9-2018-8(10)/2013
लखनऊ, दिनांक 31 मई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2011, यथा संशोधित नियमावली, 2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री युगेश्वर शाह, अनुसेवक, नियुक्ति विभाग को उनकी पुत्री सविता की दिनांक 30.09.2017 से 24.01.2018 तक डा0 राहुल, सेन्ट जोसेफ हास्पिटल, लखनऊ से कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष धनराशि रू0-2,312/- (रूपये दो हजार तीन सौ बारह मात्र) की प्रतिपूर्ति किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के उसी लेखा शीर्षक की मानक मद "49-चिकित्सा व्यय" के नामें डाला जायेगा, जिससे श्री युगेश्वर शाह, अनुसेवक, नियुक्ति विभाग का वेतन आहरित किया जाता है।

अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव

संख्या-1199(1)/दो-9-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
 - 2- नियुक्ति लेखा को अतिरिक्त प्रति एवं मूल बिल/बाउचर्स सहित।
 - 3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
 - 4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
 - 5- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।
 - 6- श्री युगेश्वर शाह, अनुसेवक, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
 - 7- कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग को विभाग की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
- संलग्नक :- यथोक्त।

आज्ञा से,

(विश्वनाथ दुबे)
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-9
संख्या-1287 / दो-9-2018-8(80) / 2017
लखनऊ, दिनांक 31 मई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2011, यथा संशोधित नियमावली, 2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री शशिकान्त कनौजिया, उप सचिव, कार्मिक विभाग को उनकी पत्नी श्रीमती प्रीति एवं उनके स्वयं की दिनांक 06.08.2017 से 30.03.2018 तक डा0 के0के0 अरोड़ा, लखनऊ से कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष क्रमशः धनराशि रू0-11,967/- एवं रू0-7,885/- अर्थात् कुल रू0-19,852/- (रूपये उन्नीस हजार आठ सौ बावन मात्र) की प्रतिपूर्ति किए जाने की श्रीराज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के उसी लेखा शीर्षक की मानक मद "49-चिकित्सा व्यय" के नामें डाला जायेगा, जिससे श्री शशिकान्त कनौजिया, उप सचिव, कार्मिक विभाग का वेतन आहरित किया जाता है।

अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव


संख्या-1287(1)/दो-9-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- इरला चेक अनुभाग को अतिरिक्त प्रति एवं मूल बिल/बाउचर्स सहित।
- 3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- 4- श्री शशिकान्त कनौजिया, उप सचिव, कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 5- कम्प्यूटर प्रोग्रामर नियुक्ति विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 6- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

संलग्नक :- यथोक्त।

आज्ञा से,


(विश्वनाथ दुबे)
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-9
संख्या-1193/दो-9-2018-53(17)/2018
लखनऊ : दिनांक : 31 मई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 में प्रथम संशोधन नियमावली-2014, दिनांक 04.03.2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री आशुतोष कुमार द्विवेदी, (पी0सी0एस0), मुख्य विकास अधिकारी मऊ को उनके पिता स्व0 भरत दुबे की दिनांक 14.01.2018 से 05.02.2018 तक डा0 विजय नाथ मिश्रा, न्यूरोलॉजी विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष धनराशि रू0-2,81,000/- (रूपये दो लाख इक्यासी हजार मात्र) का भुगतान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत बिल वाउचर्स का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के उसी लेखाशीर्षक की मानक मद "49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा, जिससे श्री आशुतोष कुमार द्विवेदी, (पी0सी0एस0), मुख्य विकास अधिकारी मऊ का वेतन आहरित किया जाता है।

अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या-1193(1)/दो-9-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- पंजीकृत (1) जिलाधिकारी, मऊ को मूल बिल/वाउचर्स सहित।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
पंजीकृत (3) मुख्य कोषाधिकारी मऊ।
(4) श्री आशुतोष कुमार द्विवेदी, (पी0सी0एस0), मुख्य विकास अधिकारी मऊ।
(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(6) अनुभागीय आदेश पुस्तिका।
(7) कम्प्यूटर प्रोग्रामर नियुक्ति विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नक:- यथोक्त।

आज्ञा से,
विश्वनाथ दुबे
(विश्वनाथ दुबे)
अनु सचिव।